मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त–सितम्बर, 2001 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 13 सितम्बर, 2001 (भाद्र 22, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची मे सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री के.पी. सिंह, ग्रामोद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के लिए पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्रीमती यशोधराराजे सिंधिया, सर्वश्री ध्यानेन्द्र सिंह, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, शिवपुरी जिला मुख्यालय के समीप स्टोन कटिंग व पॉलिशिंग औद्योगिक इकाईयां प्रारंभ होने से पर्यावरण की क्षति होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री मगनलाल गोइल, अनूप मिश्रा, सुनील नायक, सदस्य, टीकमगढ़ जिला मुख्यालय की नगरपालिका सीमा में हत्या की अनेक घटनायें घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल नगर के –
- (क) ईश्वर नगर बस्ती में सड़क एवं नालियों का निर्माण कराये जाने,
- (ख) शाहपुरा गांव एवं शाहपुरा ए,बी तथा सी सेक्टर में सड़कों का डामरीकरण कराये जाने,
- (ग) चांदबड़ एवं सेमराकला में सड़कों का डामरीकरण कराये जाने, तथा
- (घ) कोटरा सुल्तानाबाद एवं नेहरूनगर की सड़कों का डामरीकरण कराये जाने,

(2) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के –
- (क) सकरार से टेहरका तक सड़क बनाये जाने,
- (ख) शासकीय स्नातक महाविद्यालय पृथ्वीपुर का भवन बनाये जाने,
- (ग) निवाड़ी–लिगौरा से पृथ्वीपुर तक बायपास सड़क का कार्य पूर्ण कराये जाने,
- (घ) निवाड़ी नगर में पॉलीटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने,
- (ङ) ग्राम टेहरका में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने,
- (च) शासकीय महाविद्यालय पृथ्वीपुर में विज्ञान संकाय की कक्षायें संचालित कराये जाने,
- (छ) ग्राम गौरा से कुलुआ तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (ज) निवाड़ी–पीहा पहुँच मार्ग में पांखी नाले पर रपटा बनाये जाने, तथा
- (झ) भिण्ड जिले के लहार एवं रौन विकास खण्डों के स्वीकृत नलकूपों का कार्य प्रारम्भ कराये जाने,

(3) श्री रसाल सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम अड़ोखर स्थित श्री सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को शासनाधीन किये जाने,

(4) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल नगर के वार्ड क्रमांक 29 कोटरा की झुग्गी बस्तियों में समूह शौचालय बनाये जाने,

(5) श्री केदारनाथ शुक्ला, सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम सकन्दी में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों का राशन कार्ड बनाये जाने; तथा

(6) श्री उमेश शुक्ला, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम नैगुवा में हाई स्कूल खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री घनश्याम पाटीदार, राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप–लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 3 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

2 घन्टे (2) श्री हजारीलाल रघुवंशी, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 16 सन् 2001) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

मध्यप्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

डॉ. ए. के. पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 12 सितम्बर, 2001